न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
86 / 2023	10.07.2023	23.01.2024

पीठासीन अधिकारी–विजेन्द्र कुमार मीणा (आर.ए.एस.)

उनवान

1– नेमीचन्द आत्मज बूचीलाल जाति मीणा निवासी बरगू तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(वादी)

बनाम

1– उत्तम चन्द आत्मज बूचीलाल जाति मीणा
2– बूचीलाल आत्मज ओंकार जाति मीणा
3– रूकमणी बाई पुत्री बूचीलाल जाति मीणा
4– सन्जूबाई पुत्री बूचीलाल जाति मीणा
निवासीगण ग्राम बरगू तहसील दीगोद जिला कोटा राज0
5– दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादी की ओर से – श्री छीतरलाल गोचर एडवोकेट
प्रतिवादीगण की ओर से– श्री हरिशंकर मेघवाल एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा खातेदारी,इन्द्राज दुरूस्ती

निर्णय

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि

1– यह कि प्रतिवादी नं0 2 व अन्य सहखातेदारान के शामलाती के खाता नं0 नया 105 में ग्राम बरगू तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 15 की 3.90 हेक्टर, खसरा नम्बर 181 की 0.66 हेक्टर, खसरा नम्बर 183 की 1.06 हेक्टर, खसरा नम्बर 43 की 0.12 हेक्टर, खसरा नम्बर 71 की 4.76 हेक्टर कुल 5 किता की 10.50 हेक्टर भूमि दर्ज चली आ रही है। जिसमें प्रतिवादी नं0 2 का 1/6 हिस्सा दर्ज है।

2– यह कि प्रतिवादी नं0 2 व अन्य सहखातेदारान के शामलाती के खाता नं0 नया 106 में ग्राम बरगू तहसील दीगोद में खसरा नम्बर 44 की 0.16 हेक्टर, खसरा नम्बर 45 की 0.38 हेक्टर, खसरा नम्बर 46 की 7.23 हेक्टर, खसरा नम्बर 47 की 0.08 हेक्टर कुल 4 किता की 7.85 हेक्टर भूमि दर्ज चली आ रही है। जिसमें प्रतिवादी नं0 2 का 93/785 हिस्सा दर्ज है।

3– यह कि प्रतिवादी नं0 2 के खाता नं0 नया 67 में ग्राम बरगू तहसील दीगोद में खसरा नम्बर 179 की 0.46 हेक्टर, खसरा नम्बर 180 की 0.12 हेक्टर, खसरा नम्बर 182 की 0.36 हेक्टर, खसरा नम्बर 277 की 0.29 हेक्टर, खसरा नम्बर 293 की 0.17 हेक्टर, कुल 5 किता की 1.40 हेक्टर भूमि दर्ज है। जिसमें प्रतिवादी नं0 2 का 1/2 हिस्सा दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

यह कि प्रतिवादी नं0 2 व अन्य सहखातेदारान के शामलाती के खाता नं0 नया 75 ग्राम बरगू तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 412 की 0.86 हेक्टर भूमि दर्ज चली आ रही है, जिसमें प्रतिवादी नं0 2 का 25/43 हिस्सा दर्ज है।

5– यह कि प्रतिवादी नं0 2 व अन्य सहखातेदार के शामलाती के खाता नं0 नया 77 में ग्राम बरगू तहसील दीगोद में खसरा नम्बर 72 की 9.55 हेक्टर भूमि दर्ज चली आ रही है जिसमें प्रतिवादी नं0 2 का 479/955 हिस्सा दर्ज है।

6– यह कि प्रतिवादी नं0 2 व अन्य सहखातेदार के शामलाती के खाता नं0 नया 76 में ग्राम बरगू तहसील दीगोद में खसरा नम्बर 172 की 6.71 हेक्टर भूमि दर्ज चली आ रही है जिसमें प्रतिवादी नं0 1 का 338/671 हिस्सा दर्ज है।

7– यह कि प्रतिवादी नं0 2 वादी व प्रतिवादी नं0 1 व प्रतिवादी नं0 3–4 के पिता है, तथा वादी व प्रतिवादी नं0 1 पुत्र व प्रतिवादी नं0 3–4 पुत्रियां है। प्रतिवादी नं0 3–4 प्रतिवादी नं0 2 की पुत्रियां है जो अपने पिता के हिस्से में कोई भूमि नहीं लेना चाहती है।

8– यह कि उपरोक्त भूमियां वादी व प्रतिवादी नं0 1 ता 4 की आजीविका का एक मात्र साधन है। तथा वादी व प्रतिवादी नं01 , प्रतिवादी नं0 2 के हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है। इस कारण प्रतिवादी नं0 2 के साथ वादी व प्रतिवादी नं0 1 को खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक है।

9– यह कि वादी व प्रतिवादी नं0 1 का नाम उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने के कारण प्रतिवादी नं0 2 को वादी व प्रतिवादी नं0 1 का नाम बहैसियत सहखातेदार के रूप में राजस्व रिकार्ड में अंकित कराने हेतु दिनांक 15.06.2023 को कहा तो प्रतिवादी नं0 2 ने वादी का नाम दर्ज कराने से इन्कार कर दिया।

10– यह कि उपरोक्त परिस्थितियों में वादी के लिये माननीय न्यायालय में खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती का वाद प्रतिवादीगण के खिलाफ पेश करना आवश्यक हो गया है।

11– यह कि वाद कारण प्रतिवादी नं0 2 द्वारा वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नं0 2 के साथ नाम दर्ज कराने व खातेदार घोषित करने से दिनांक 15.06.2023 को इन्कार करने पर पैदा हुआ।

12– यह कि प्रतिवादी नं0 5 भूमि का लेण्ड होल्डर होने से उसे वाद में बहैसियत प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। अन्य खातेदारान से किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं चाही गयी है इस कारण उन्हे पक्षकार नहीं बनाया गया है।

13– यह कि वाद अर्जेन्ट एवं इमीजिऐट रिलीफ से सम्बन्धित है। इस कारण वादी ने वाद में प्रतिवादी नं0 4 राजस्थान सरकार को धारा 80 जाप्ता दीवानी के तहत 2 माह का नोटिस नहीं दिया है ओर बिना नोटिस दिये वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। जिसके लिए धारा 80 (2) जाप्ता दीवानी का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे:–

1– कि ग्राम बरगू तहसील दीगोद जिला कोटा के खाता नं0 नया 105 में खसरा नम्बर 15 की 3.90 हेक्टर, खसरा नम्बर 181 की 0.66 हेक्टर, खसरा नम्बर 183 की 1.06 हेक्टर, खसरा नम्बर 43 की 0.12 हेक्टर, खसरा नम्बर 71 की 4.76 हेक्टर कुल 5 किता की 10.50 हेक्टर भूमि दर्ज चली आ रही है। जिसमें प्रतिवादी नं0 2 का 1/6 हिस्सा में वादी व प्रतिवादी नं0 1 को प्रतिवादी नं0 2 के साथ सहखातेदार घोषित किया जावे।

2– कि ग्राम बरगू तहसील दीगोद में खाता नं0 नया 106 के खसरा नम्बर 44 की 0.16 हेक्टर, खसरा नम्बर 45 की 0.38 हेक्टर, खसरा नम्बर 46 की 7.23 हेक्टर, खसरा नम्बर

की 0.08 हेक्टर कुल 4 किता की 7.85 हेक्टर भूमि दर्ज चली आ रही है। जिसमें प्रतिवादी नं0 2 का 93/785 हिस्सा में वादी व प्रतिवादी नं0 1 को प्रतिवादी नं0 2 के साथ सहखातेदार घोषित किया जावे।

3– कि ग्राम बरगू तहसील दीगोद में खाता नं0 नया 67 में खसरा नम्बर 179 की 0.46 हेक्टर, खसरा नम्बर 180 की 0.12 हेक्टर, खसरा नम्बर 182 की 0.36 हेक्टर, खसरा नम्बर 277 की 0.29 हेक्टर, खसरा नम्बर 293 की 0.17 हेक्टर, कुल 5 किता की 1.40 हेक्टर भूमि दर्ज है। जिसमें प्रतिवादी नं0 2 का 1/2 हिस्सा में वादी व प्रतिवादी नं0 1 को प्रतिवादी नं0 2 के साथ सहखातेदार घोषित किया जावे।

4– कि ग्राम बरगू तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता नं0 नया 75 में खसरा नम्बर 412 की 0.86 हेक्टर भूमि दर्ज चली आ रही है, जिसमें प्रतिवादी नं0 2 का 25/43 हिस्सा में वादी व प्रतिवादी नं0 1 को प्रतिवादी नं0 2 के साथ सहखातेदार घोषित किया जावे।

5– कि ग्राम बरगू तहसील दीगोद में खाता नं0 नया 77 में खसरा नम्बर 72 की 9.55 हेक्टर भूमि दर्ज चली आ रही है जिसमें प्रतिवादी नं0 2 का 479/955 हिस्सा में वादी व प्रतिवादी नं0 1 को प्रतिवादी नं0 2 के साथ सहखातेदार घोषित किया जावे।

6– कि ग्राम बरगू तहसील दीगोद में खाता नं0 76 में खसरा नम्बर 172 की 6.71 हेक्टर भूमि दर्ज चली आ रही है जिसमें प्रतिवादी नं0 1 का 338/671 हिस्सा में वादी व प्रतिवादी नं0 1 को प्रतिवादी न0 2 के साथ सहखातेदार घोषित किया जावे।

वादी की ओर से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जो संलग्न है.–

1– नकल जमाबन्दी ग्राम बरगू खाता सं0 105 सम्वत 2074–2077
2– नकल जमाबन्दी ग्राम बरगू खाता सं0 106 सम्वत 2074–2077
3– नकल जमाबन्दी ग्राम बरगू खाता सं0 67 सम्वत 2074–2077
4– नकल जमाबन्दी ग्राम बरगू खाता सं0 75 सम्वत 2074–2077
5– नकल जमाबन्दी ग्राम बरगू खाता सं0 77 सम्वत 2074–2077
6– नकल जमाबन्दी ग्राम बरगू खाता सं0 76 सम्वत 2074–2077

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी विधिवत करवायी गई। प्रतिवादीगण की ओर से श्री हरिशंकर मेघवाल एडवोकेट द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। वादी एव प्रतिवादीगण की ओर से उभय पक्ष के अधिवक्ताओ द्वारा आपसी सहमति से सहमति परक जवाब दावा मय राजीनामा प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया गया। वादी एव प्रतिवादीगण के अधिवक्ताओं द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा प्रस्तुत कर आदेशिका पर वादी एव प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 ने सहमति से हस्ताक्षर किये गये। उभय पक्षकारान की ओर से राजीनामा निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया:–

प्रस्तुत राजीनामा

कि वादी एव वादीगण की ओर से निम्न राजीनामा पेश किया गया:–

1– कि ग्राम बरगू तहसील दीगोद जिला कोटा के खाता नं0 नया 105 में खसरा नम्बर 15 की 3.90 हेक्टर, खसरा नम्बर 181 की 0.66 हेक्टर, खसरा नम्बर 153 की 1.36 हेक्टर, खसरा नम्बर 43 की 0.12 हेक्टर, खसरा नम्बर 71 की 4.76 हेक्टर कुल 5 किता की 10.50 हेक्टर भूमि दर्ज चली आ रही है। जिसमें प्रतिवादी नं0 2 का 1/6 हिस्सा में वादी व प्रतिवादी नं0 1 को प्रतिवादी नं0 2 के साथ सहखातेदार घोषित किया जावे।

2– कि ग्राम बरगू तहसील दीगोद में खाता नं0 नया [illegible] में खसरा नम्बर 44 की [illegible] हेक्टर, खसरा नम्बर 45 की 0.38 हेक्टर, खसरा नम्बर 46 की [illegible] हेक्टर, खसरा नम्बर

की 0.08 हेक्टर कुल 4 किता की 7.85 हेक्टर भूमि दर्ज चली आ रही है। जिसमें प्रतिवादी नं0 2 का 93/785 हिस्सा में वादी व प्रतिवादी नं0 1 को प्रतिवादी नं0 2 के साथ सहखातेदार घोषित किया जावे।

3— कि ग्राम बरगू तहसील दीगोद में खाता नं0 नया 67 में खसरा नम्बर 179 की 0.46 हेक्टर, खसरा नम्बर 180 की 0.12 हेक्टर, खसरा नम्बर 182 की 0.36 हेक्टर, खसरा नम्बर 277 की 0.29 हेक्टर, खसरा नम्बर 293 की 0.17 हेक्टर, कुल 5 किता की 1.40 हेक्टर भूमि दर्ज है। जिसमें प्रतिवादी नं0 2 का 1/2 हिस्सा में वादी व प्रतिवादी नं0 1 को प्रतिवादी नं0 2 के साथ सहखातेदार घोषित किया जावे।

4— कि ग्राम बरगू तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता नं0 नया 75 में खसरा नम्बर 412 की 0.86 हेक्टर भूमि दर्ज चली आ रही है, जिसमें प्रतिवादी नं0 2 का 25/43 हिस्सा में वादी व प्रतिवादी नं0 1 को प्रतिवादी नं0 2 के साथ सहखातेदार घोषित किया जावें।

5— कि ग्राम बरगू तहसील दीगोद में खाता नं0 नया 77 में खसरा नम्बर 72 की 9.55 हेक्टर भूमि दर्ज चली आ रही है जिसमें प्रतिवादी नं0 2 का 479/955 हिस्सा में वादी व प्रतिवादी नं0 1 को प्रतिवादी नं0 2 के साथ सहखातेदार घोषित किया जावे।

6— कि ग्राम बरगू तहसील दीगोद में खाता नं0 76 में खसरा नम्बर 172 की 6.71 हेक्टर भूमि दर्ज चली आ रही है जिसमें प्रतिवादी नं0 1 का 338/671 हिस्सा में वादी व प्रतिवादी नं0 1 को प्रतिवादी नं0 2 के साथ सहखातेदार घोषित किया जावे।

यह कि ग्राम बरगू तहसील दीगोद जिला कोटा के उक्त खाता सं0 नया 105, 106, 67, 75, 77, व 76 की भूमि में प्रतिवादी नं0 3 व 4 अपना कोई हिस्सा नही लेना चाहती है अपना हिस्सा अपने भाइयों को दे दिया है। वादी एवं प्रतिवादीगण को उक्त वाद राजीनामा के अनुसार डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति नही है। वादी व प्रतिवादी नं0 1 का नाम ,प्रतिवादी नं0 2 के साथ दर्ज किया जाकर सहखातेदार घोषित किया जावे।

प्रकरण को उभय पक्षकारान के मध्य राजीनामा प्रस्तुत करने पर पत्रावली को बहस पर नियत किया गया। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। आदेशिका पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर करवाये गये। वादी की पहिचान वादी अधिवक्ता द्वारा करवायी गयी तथा प्रतिवादीगण की पहिचान प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा करवायी गयी।

अतः उभय पक्ष के अधिवक्ताओं ने उपस्थित होकर प्रस्तुत राजीनामा पर सहमति प्रकट करने एवं दावा डिक्री किये जाने हेतु सहमति व्यक्त की है। अतः वादी का वाद पत्र प्रस्तुत राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज एवं उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस एवं राजीनामा का गहन अध्ययन व मनन किया गया। वादी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र, प्रस्तुत राजीनामा अनुसार स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद पत्र वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य सहमति से राजीनामा होने पर स्वीकार किया जाकर ग्राम बरगू तहसील दीगोद जिला कोटा में निम्नानुसार वादी व प्रतिवादी नं0 1 का नाम ,प्रतिवादी नं0 2 के साथ दर्ज किया जाकर सहखातेदार घोषित किया जाता है:—

1— कि ग्राम बरगू तहसील दीगोद जिला कोटा के खाता नं0 नया 105 में खसरा नम्बर 15 की 3.90 हेक्टर, खसरा नम्बर 181 की 0.66 हेक्टर, खसरा नम्बर 183 की 1.06 हेक्टर, खसरा नम्बर 43 की 0.12 हेक्टर, खसरा नम्बर 71 की 4.76 हेक्टर कुल 5 किता की

, हेक्टर भूमि दर्ज चली आ रही है। जिसमें प्रतिवादी नं0 2 का 1/6 हिस्सा में वादी प्रतिवादी नं0 1 को प्रतिवादी नं0 2 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है।

2— कि ग्राम बरगू तहसील दीगोद में खाता नं0 नया 106 के खसरा नम्बर 44 की 0.16 हेक्टर, खसरा नम्बर 45 की 0.38 हेक्टर, खसरा नम्बर 46 की 7.23 हेक्टर, खसरा नम्बर 47 की 0.08 हेक्टर कुल 4 किता की 7.85 हेक्टर भूमि दर्ज चली आ रही है। जिसमें प्रतिवादी नं0 2 का 93/785 हिस्सा में वादी व प्रतिवादी नं0 1 को प्रतिवादी नं0 2 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है।

3— कि ग्राम बरगू तहसील दीगोद में खाता नं0 नया 67 में खसरा नम्बर 179 की 0.46 हेक्टर, खसरा नम्बर 180 की 0.12 हेक्टर, खसरा नम्बर 182 की 0.36 हेक्टर, खसरा नम्बर 277 की 0.29 हेक्टर, खसरा नम्बर 293 की 0.17 हेक्टर, कुल 5 किता की 1.40 हेक्टर भूमि दर्ज है। जिसमें प्रतिवादी नं0 2 का 1/2 हिस्सा में वादी व प्रतिवादी नं0 1 को प्रतिवादी नं0 2 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है।

4— कि ग्राम बरगू तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता नं0 नया 75 में खसरा नम्बर 412 की 0.86 हेक्टर भूमि दर्ज चली आ रही है, जिसमें प्रतिवादी नं0 2 का 25/43 हिस्सा में वादी व प्रतिवादी नं0 1 को प्रतिवादी नं0 2 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है।

5— कि ग्राम बरगू तहसील दीगोद में खाता नं0 नया 77 में खसरा नम्बर 72 की 9.55 हेक्टर भूमि दर्ज चली आ रही है जिसमें प्रतिवादी नं0 2 का 479/955 हिस्सा में वादी व प्रतिवादी नं0 1 को प्रतिवादी नं0 2 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है।

6— कि ग्राम बरगू तहसील दीगोद में खाता नं0 76 में खसरा नम्बर 172 की 6.71 हेक्टर भूमि दर्ज चली आ रही है जिसमें प्रतिवादी नं0 1 का 338/671 हिस्सा में वादी व प्रतिवादी नं0 1 को प्रतिवादी नं0 2 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि सहमति से उक्त राजीनामा अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार फाईनल डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)